

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 87 / 2019-20

आदेश पत्रक संख्या ग्राम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
26.7.19	आवेदक/आवेदिका सोहराय कुजूर, पिता- स्व० लूथू कुजूर, जाति- उराँव (अ.ज.जा.), ग्राम- हथिया टोंका टोला, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- हथिया, थाना नं०-61, खाता नं०- 564, प्लॉट नं०- 3010, रकवा-12 डि० 19 वर्गकड़ी, क्रेता सोमा कुजूर, पिता- श्री संचू कुजूर, जाति- उराँव (अ.ज.जा.), ग्राम- हथिया टोंका टोला, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>हथिया</td><td>61</td><td>—</td><td>564</td><td>3010</td><td>12 डि० 19 वर्गकड़ी</td></tr></table> आवेदक ईलाज हेतु को 70,000/- (सत्तर हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 12 डि० 19 वर्गकड़ी को कुल कीमत 70,000/- (सत्तर हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 5.8.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 5.8.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	हथिया	61	—	564	3010	12 डि० 19 वर्गकड़ी	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
हथिया	61	—	564	3010	12 डि० 19 वर्गकड़ी									

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।